फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– नाथी बाई | विपक्षी :– कमली
किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 11/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 30.05.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया उपस्थित। राजपरंकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 7/1, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5 द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश कर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जवाब शामिल फाईल रहें। विपक्षी संख्या 6, 7/2 से 7/6, 8/3, 8/6 अनुपस्थित। आवाज दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 6, 7/2 से 7/6, 8/3, 8/6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 द्वारा पुर्व में उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 9 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4, 7/1, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थीया अपनी भूमि का विकास करने व फसलो की सुरक्षा के लिये तारबंदी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थीया सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडगॉव पटवार हल्का वडगॉव, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 198 की आराजी नम्बर 187, 188, 189, 190, 199, 200, 214 किता 07 रकबा 0.5900 हेक्टेयर भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त [illegible] से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा नहीं [illegible] प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को [illegible] जाकर पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर [illegible] प्रार्थीया अदा करगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.07.29 16:05:41 IST
Reason: SelfAttested